

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक: 14.01.2023

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	विजय कुमार जैन	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त विधि परामर्शी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	उत्तम सिंह के स्थान पर
2.	उत्तम सिंह	संयुक्त विधि परामर्शी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति)	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	सुबान खान	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय अलवर	उप विधि परामर्शी, निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	रूप बसंत शर्मा के स्थान पर
4.	रूप बसंत शर्मा	उप विधि परामर्शी, निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय अलवर	सुबान खान के स्थान पर
5.	शबाना कुरेशी	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण प्रकोष्ठ-4 क्रिमिनल सैल सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
6.	दिशा फौजदार, वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, वित्त (कर) विभाग सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण प्रकोष्ठ-4 क्रिमिनल सैल सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर
7.	अम्बे देवी सोनी	कनिष्ठ विधि अधिकारी आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय सीकर	रिक्त पद पर

आज्ञा से


 (अंकित रमन)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव